



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ 1948 (श०)
(सं० पटना 604) पटना, वृहस्पतिवार, 11 जून 2026

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

11 जून 2026

सं० बी०1-3-65/2026-33—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-67 के उपबंधों के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् का उप निर्वाचन, 2026 के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से संबंधित प्ररूप-21'ख' एवं 21B जिसमें बिहार राज्य के विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्य के नाम संबद्ध दल के सहित (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

श्री नीतीश कुमार के स्थान पर बिहार विधान परिषद् का उप-निर्वाचन, 2026

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ख

[नियम 11 (1) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री ललन प्रसाद, ग्राम— सुजाबलपुर घाट कुसुम्भा, पोस्ट— डीह कुसुम्भा, जिला— शेखपुरा, 811107, जो जनता दल (यूनायटेड) द्वारा खड़े किये गए हैं, उस सदन में श्री नीतीश कुमार का स्थान रिक्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

छोटे पासवान,

रिटर्निंग आफिसर,

बिहार विधान परिषद् का उप निर्वाचन ।

स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

तारीख : 11 जून, 2026

Bye-Election to the Bihar Legislative Council, 2026 in place of Shri Nitish Kumar

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21B

[See rule 11(1)]

(For use in Election to fill a casual Vacancy when seat is uncontested)

Declaration of the result of Election under Sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Bihar by the members of the Legislative Assembly

In pursuance of the provisions contained in Sub-section (2) of section-53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Lalan Prasads , Village- Sujawalpur, Ghat Kushumbha, P.O.-Dih Kushumbha, Dist.-Sheikpura, 811107 Sponsored by Janata Dal (United),

has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the seat of Shri Nitish Kumar having become vacant.

Chhote Paswan,
Returning Officer for Bye Election,
To the Bihar Legislative Council.

Place : Bihar Vidhan Sabha Secretariat, Patna

Date : 11th June, 2026

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 604-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>